प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला चौकी ए.सी.बी., भीलवाडा–द्वितीय, थाना सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष–2022
   प्र. ई. रि. स. 503/22 दिनांक 28/12/2022
   (अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये :– 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
   (ब) अधिनियम..... ..... धारायें .....
   (स) अधिनियम ..... धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 565 समय 5:40 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– मंगलवार दिनांक 18.10.2022 समय 09.45 ए.एम.
   (स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 14.10.2022 समय – 04:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – टाईपशुद्वा
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – उत्तर–पश्चिम बफासला करीब 80 कि.मी.
   (ब) पता – पुलिस थाना–शम्भुगढ, जिला–भीलवाडा
   बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – श्री गोपाल लाल रेगर
   (ब) पिता का नाम.... श्री नानू रेगर
   (स) जन्म तिथि /वर्ष :– 35 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता..... भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसायः– खेती
   (ल) पता :– निवासी–लक्ष्मीपुरा, पुलिस थाना–शम्भुगढ, जिला–भीलवाडा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   श्री उमराव अली पुत्र श्री दावल पिनारा उम्र–53 साल, निवासी विजयपुर, पुलिस थाना–बनेडा जिला–भीलवाडा हाल हैडकानि 1211, पुलिस थाना–शम्भूगढ, जिला–भीलवाडा।
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही ...चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/यू.डी. केस संख्या .....(अगर हो तो)

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
भीलवाडा कृर्षि मंडी

विषयः– कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मेरे छोटे भाई की पत्नी पप्पूडी पत्नी राधेश्याम रेगर निवासी लक्ष्मीपुरा ने पुलिस थाना शम्भुगढ मे आपसी मारपीट का प्रकरण संख्या 144/22 दिनांक 01.10.2022 को दर्ज करवाया तथा विपक्षी बालुराम रेगर ने भी पप्पुडी व मेरे परिवारवाले 11 व्यक्तियो विरूद्व प्रकरण संख्या 145/22 दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान उमराव अली मंसूरी हैडसाहब कर रहे है। मैं उक्त मामले मे उमराव अली हैड साहब से कई बार मिला, दिनांक 13.10.22 को दोपहर मे मैं उमराव अली हैड साहब से मिला तो उन्होने मेरे भाई की पत्नी पप्पूडी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 144/22 में आरोपियों के विरूद्व ठोस कार्यवाही करने व प्रकरण संख्या 145/22 मे मेरे भतीजे भगवती लाल का नाम काटने व अन्य मुल्जिमो की संख्या कम करने की एवज में मेरे से 20,000 रूपये की मांग की, मैंने उन्हे कहा कि 5 हजार रूपये तो पहले ही दे चुका हूँ तो उन्होने कहा कि अब 15 हजार रूपये और ले आना। मैं उमराव अली जी हैडसाहब को 15 हजार रूपये रिश्वत के नही देना चाहता हूँ और उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मैंने यह कार्यवाही करवाने के लिये मेरे भाई की पत्नी पप्पुडी व भतीजे भगवती लाल व परिवारवालो से आपस मे बातचीत कर ली है। मेरी श्री उमराव अली हैडसाहब पुलिस थाना शम्भुगढ, जिला–भीलवाडा से कोई रंजिश नहीं हैं व नही मेरा कोई लेन देन बकाया हैं। कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करावें।

दिनांकः– 14.10.2022

प्रार्थी

एस.डी गोपाल लाल रेगर
गोपाल लाल रेगर पुत्र श्री नानु रेगर निवासी
लक्ष्मीपुरा, पुलिस थाना शम्भुगढ जिला
भीलवाडा मो.न. 95716–34481

एस डी श्री रविकान्त 20–10–2022
एसडी श्री रजनीकान्त चतुर्वेदी 20–10–2022

<u>कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय</u>

दिनांक 14.10.2022 समय 04.15 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल लाल पुत्र श्री नानू रेगर, उम्र–35 साल, निवासी–लक्ष्मीपुरा, पुलिस थाना शम्भुगढ, जिला भीलवाडा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक टाईप सुदा रिपोर्ट मुझ शिवप्रकाश, पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष पेश की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दरियाप्त की गई। परिवादी ने बताया कि मेरे छोटे भाई की पत्नी पप्पूडी पत्नी राधेश्याम रेगर निवासी लक्ष्मीपुरा ने पुलिस थाना शम्भुगढ मे आपसी मारपीट का प्रकरण संख्या 144/22 दिनांक 01.10.2022 को दर्ज करवाया तथा विपक्षी बालुराम रेगर ने भी पप्पुडी व मेरे परिवारवाले 11 व्यक्तियो विरूद्व प्रकरण संख्या 145/22 दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान उमराव अली मंसूरी हैडसाहब कर रहे है। मैं उक्त मामले मे उमराव अली हैड साहब से कई बार मिला, दिनांक 13.10.2022 को दोपहर मे मैं उमराव अली हैड साहब से मिला तो उन्होने मेरे भाई की पत्नी पप्पूडी द्वारा दर्ज करवाये

गये प्रकरण संख्या 144/22 में आरोपियों के विरूद्व ठोस कार्यवाही करने व प्रकरण संख्या 145/22 मे मेरे भतीजे भगवती लाल का नाम काटने व अन्य मुल्जिमो की संख्या कम करने की एवज में मेरे से 20,000 रूपये की मांग की, मैंने उन्हे कहा कि 5 हजार रूपये तो पहले ही दे चुका हूँ तो उन्होने कहा कि अब 15 हजार रूपये और ले आना। मैं उमराव अली जी हैडसाहब को 15 हजार रूपये रिश्वत के नही देना चाहता हूँ और उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मैंने यह कार्यवाही करवाने के लिये मेरे भाई की पत्नी पप्पुडी व भतीजे भगवती लाल व परिवारवालो से आपस मे बातचीत कर ली है। मेरी श्री उमराव अली हैडसाहब पुलिस थाना शम्भुगढ, जिला–भीलवाडा से कोई रंजिश नहीं हैं व नही मेरा कोई लेन देन बकाया हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मजिद दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि लेन–देन का होकर ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मालखाने मे से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड निकलवाकर परिवादी गोपाल लाल रेगर को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करना सिखा कर संचालन प्रकिया समझायी। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने के लिये कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं आज ही रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा देता हूँ। जिस पर परिवादी गोपाल लाल रेगर का श्री रामेश्वर लाल कानि से परिचय करवाया गया। श्री रामेश्वर लाल कानि के मोबाईल नंबर परिवादी को लिखकर दिये, तथा मुझ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी कों मेरे मोबाईल नंबर से भी अवगत कराया। दिनांक 14.10.2022 समय 05.30 पी. एम पर श्री रामेश्वरलाल कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी गोपाल लाल रेगर के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतू परिवादी की मोटरसाईकिल पर रवाना शम्भुगढ की और किया गया। समय 11.00 पी.एम पर कानि रामेश्वर लाल उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि कार्यालय से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर शम्भुगढ थाने के पास पहुँचे, परिवादी ने आरोपी की लोकेशन मालूमात की तो आरोपी का कानून व्यवस्था ड्यूटी मे बाहर होकर थाने पर उपस्थित नही होना जानकारी मे आया। रात्रि का समय हो जाने से परिवादी ने बताया कि आज सत्यापन नही हो पायेगा, आरोपी अब मुझे जब भी बुलायेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, जिस पर परिवादी को आवश्यक समझाईश कर परिवादी को वही छोडकर बस से शम्भुगढ से रवाना होकर भीलवाडा कार्यालय उपस्थित आया हूँ। श्री रामेश्वर लाल कानि से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया। दिनांक 17.10.2022 समय 05.10 पी.एम पर कानि श्री रामेश्वर लाल ने मुझ पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर का अभी अभी मेरे पास फोन आया है। परिवादी ने मुझे बताया कि आरोपी ने उसे और उसके भतीजे को मय दो गवाह के साथ दिनांक 18.10.2022 को सुबह 10.00 बजे पुलिस थाना शम्भुगढ पर बुलाया है। अतः परिवादी ने मांग सत्यापन की कार्यवाही कल करवाने के लिये मुझे सुबह 09.00 बजे उसके घर लक्ष्मीपुरा बुलाया है। दिनांक 18.10.2022 समय 07.00 ए.एम पर श्री रामेश्वरलाल कानि से कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड निकवा कर सिपूर्द कर परिवादी गोपाल लाल रेगर से उसके गांव लक्ष्मीपुरा पहुँच, परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु रवाना लक्ष्मीपुरा शम्भुगढ की ओर किया। समय 02.00 पी.एम पर श्री रामेश्वरलाल कानि कार्यालय मे उपस्थित आया और डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना हो 29 मील चौराहा गुलाबपुरा पहुँचा, जहॉ परिवादी गोपाल लाल रेगर अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिला। 29 मील चौराहा गुलाबपुरा से परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से रवाना हो करीब 09.45 बजे शम्भुगढ थाने से पहले सगस जी के मन्दिर के सामने पहुँचे। जहॉ परिवादी गोपाल लाल रेगर का भतीजा भगवती लाल उपस्थित मिला। परिवादी गोपाल लाल रेगर ने बताया कि मेरे भतीजे भगवती लाल को आरोपी ने साथ लेकर मय दो गवाह के साथ बुलाया है। जिस पर वहां मौजुद परिवादी के भतीजे भगवती लाल ने बताया कि दो गवाह के लिए उसके दो दोस्तो को बुलाया है जो थोडी देर मे शम्भुगढ थाने पर सीधे आ रहे है। जिस पर परिवादी के भतीजे भगवती लाल को पुलिस थाना शम्भुगढ के लिये रवाना किया व थोडी देर पश्चात खारी नदी की पुलिया पार कर परिवादी गोपाल लाल रेगर को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर सिपूर्द कर परिवादी की मोटरसाईकिल से परिवादी को रवाना पुलिस थाना शम्भुगढ के लिये किया, मैं वही सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहा। करीब 40 मिनिट बाद परिवादी गोपाल लाल रेगर मेरे पास मोटर साईकिल लेकर आया और डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालत मे पेश किया, जिसे मैने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी गोपाल लाल रेगर ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो गया है और मैंने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता को सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर मेरी मोटर साईकिल से शम्भुगढ थाने के बाहर पहुँचा, जहां

मेरा भतीजा भगवती लाल और उसके दोस्त बंशीलाल योगी व निम्बाराम कुमावत निवासी लक्ष्मीपुरा मौजूद मिले, जिनको साथ लेकर मैं शम्भुगढ थाने के अन्दर गया। जहॉ मुझे उमराव जी हैड साहब मिले जिनसे मैंने मेरे काम के संबध मे बातचीत की, बातचीत के दौरान उन्होने मेरे भतीजे भगवती लाल का नाम हटाने के संबध मे मेरे भतीजे व उसके दोस्त बंशीलाल योगी व निम्बाराम कुमावत के हस्ताक्षर करवाये, उमराव जी हैड साहब ने मेरे से रिश्वत के पैसे मांगे, मैने मेरे पास से 2,000 रूपये उमराव जी हैड साहब को दे दिये, शेष 9,000 हजार रूपये रिश्वत राशि के और देना तय हुआ। उमराव जी हैड साहब ने कहा कि 9,000 रूपये के लिये तुम रामकरण जी से बात करवाकर जिम्मेदारी दिला दो, मैंने रामकरण जी के फोन लगाने का नाटक किया और उमराव जी को कहां कि रामकरण जी के फोन नही लग रहा है तो उमराव जी हैड साहब ने मेरे से रामकरण जी के नंबर पूछ कर खुद ने ही बात कर ली और मेरी बात करवा दी, और उन्हे कह दिया कि मै 9,000 रूपये आपसे शाम को ले लूगा। फिर मैं पुलिस थाने से रवाना होकर मेरे भतीजे और गवाह के लिये आये उसके दोनो दोस्तो को थाने के बाहर छोडकर आपके पास मोटरसाईकिल से आया हूँ। परिवादी गोपाल लाल रेगर ने यह भी बताया कि रामकरण जी मेरे परिचित व्यापारी है जिससे मेरा आपसी लेन देन रहता है। मैं उन्हे इस मामले मे कही भी नही लाना चाहता हूँ। जिस पर परिवादी को निर्देशित किया कि वह रामकरण जी को किसी तरह मना करे की वह उमराव जी को 9,000 रूपये नही देवे। परिवादी ने बताया कि मैं 9,000 रूपये की व्यवस्था कर आपको शाम तक सूचित कर दूंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर परिवादी को शम्भुगढ ही रूखस्त कर मैं शम्भुगढ से मय रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित बस से रवाना होकर कार्यालय पर उपस्थित आया हूँ। श्री रामेश्वर लाल कानि द्वारा पेश रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालुकर सुना तो कानि रामेश्वरलाल द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद हुई और रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री रामेश्वर लाल कानि से कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया। दिनांक 18.10.2022 समय 02.35 पी. एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि के फोन पर परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर का फोन आया जिस पर मुझ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा वार्ता की गई तो परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर ने बताया कि मैंने रामकरण जी से बात कर ली है और उन्हे कह दिया है कि मेरे पास 9,000 रूपये की व्यवस्था हो गई है, इसलिए उमराव जी यदि आपके पास आये तो आप उमराव जी को 9,000 रूपये मत देना, मैं उमराव जी से मिल लूंगा, और उमराव जी को 9,000 रूपये सीधे दे दूंगा। परिवादी ने बताया कि आज उमराव जी उनकी बेटी को परीक्षा दिलवाने अजमेर ले गये है, जो वापस देर रात्रि तक लौटेगे। अतः जब भी उमराव जी शम्भुगढ थाने पर आयेगे, या मुझे फोन करेगें, तब मैं आपको सूचित कर दूंगा। जिस पर परिवादी को पूर्ण गोपनीयता व सर्तकता बरतने की हिदायत की। दिनांक 19.10.2022 समय 03.30 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर ने जरिये फोन मुझ पुलिस उप अधीक्षक से वार्ता कर बताया कि मेरे पास उमराव जी का फोन आया था, और उन्होने मुझे कल सुबह पुलिस थाना शम्भुगढ पर मेरे को रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। जिस पर परिवादी को निर्देशित किया कि वह रिश्वत राशि 9,000 रूपये लेकर प्रातः 8 ए.एम पर ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–द्वितीय पर उपस्थित आये। दिनांक 19.10.2022 समय 04. 00 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि को कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत भीलवाडा रवाना कर दो स्वतन्त्र गवाह श्री रविकान्त रेवाल, निजी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत भीलवाडा व श्री रजनीकान्त चतुर्वेदी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत–भीलवाडा को तलब किया। उक्त दोनो गवाहान को की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही के संबध मे अवगत करवाया हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 20.10.2022 समय 08.00 ए.एम पर परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर उपस्थित चौकी आया, जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाया। समय 08.10 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाह श्री रविकान्त रेवाल, निजी सहायक व श्री रजनीकान्त चतुर्वेदी, कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। गवाहान को परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर की रिपोर्ट को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.10.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि से निकलवा कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति प्रदान की, जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैडकानि से सुरक्षित

रखवाया गया। समय 09.15 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये प्रस्तुत किये। उक्त नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक, भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय से निंकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री विनय प्रताप सिंह से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री गोपाल लाल की जामा तलाशी गवाह श्री रविकान्त रेवाल से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री विनय प्रताप सिंह से परिवादी की पहनी हुई कमीज के सामने की तरफ लगी बांयी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो हाजरिन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री विनय प्रताप सिंह की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 20.10.2022 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर शम्भुगढ, गुलाबपुरा पहुॅच ट्रैप कार्यवाही के प्रयास किये पर आरोपी के राजकार्य से बाहर होने से ट्रैप कार्यवाही नही हो पायी। समय 02.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी गोपाल लाल रेगर की पहनी हुई कमीज के सामने की तरफ बांयी जेब में रखे पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 9,000 रूपये श्री शिवराज कानि से सुरक्षित निकलवाकर सफेद कागज में लपेटकर शिवराज कानि के पास सुरक्षित रखवा कर परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 02.45 पी.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाह मय पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 9,000 रूपये मय सरकारी व प्राईवेट वाहन मय आवश्यक सामग्री के गुलाबपुरा से रवाना हो समय 04.15 पी.एम पर एसीबी कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पहुॅचा। श्री शिवराज सिंह कानि 235 के पास रखी पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 9,000 रूपये को कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखवाये। स्वतन्त्र गवाह श्री रविकान्त रेवाल व श्री रजनीकान्त चतुर्वेदी को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूखसत किया। तत्पश्चात दिनांक 24.10.2022, 06.11.2022, 05.12.2022 को परिवादी ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास कर रिश्वत राशि के संबंध मे बातचीत करने की कोशिश की मगर सम्पर्क नही हो कर रिश्वत राशि के सबंध मे वार्ता नही हो पायी। दिनांक 14.12.2022 को परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर उपस्थित चौकी आया जिसने दरियाप्त पर बताया कि दिनांक 05.12.2022 को मुझे उमराव अली जी हैडसाहब शम्भुगढ बस स्टेण्ड पर मिले थे, जिन्होने कहा कि मैंने तुम्हारे मुकदमे मे जो कानूनी कार्यवाही बनती थी, वह नियमानुसार कर दी है, मुझे तेरे से अब कोई बातचीत नही करनी है और ना ही मुझे तुम्हारे से कोई पैसा चाहिए। इस मामले मे तू मेरे से आईन्दा कभी बात भी मत करना। परिवादी ने बताया कि उमराव अली हैडसाहब को मेरे पर शंका हो गई है, इसलिए मुझे अब पूरा विश्वास है कि वो अब मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नही करेगे, इसलिये अब ट्रेप कार्यवाही नही हो पायेगी। जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान श्री रविकान्त रेवाल व श्री रजनीकान्त चतुर्वेदी को कार्यालय में तलब किया। समय 01.30 पीएम पर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.10.2022 मुर्तिब की गई। समय 03.15 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को 3 पैन ड्राईव में कॉपी करवा दो पैन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चिट कर कमशः मार्क A-1, A-2 अंकित किया व एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे मे रख कर मार्क A-3 अंकित किया, फर्द जप्ती पैन ड्राईव मुर्तिब की। समय 4.00 पीएम पर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.10.2022 जो मूल ही एक मेमोरी कार्ड 16 जी.बी. में दर्ज हैं, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को कागज मे लपेटकर लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली मे रख सिल्डचिट कर मार्क "M" अंकित कर फर्द जप्ती मैमोरी कार्ड मुर्तिब की। समय 05.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजुदगी में दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास–सील का अवलोकन करवाया जाकर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई, फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की। तत्पश्चात पैन ड्राईव तैयार करने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर परिवादी को नियमानुसार रिश्वत राशि 9,000/– रसीदन लौटाई गई। समय 06.50 पी.एम पर परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री उमराव अली, हैडकानि 1211, पुलिस थाना शम्भूगढ, जिला–भीलवाडा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर के भाई की पत्नी पप्पूडी द्वारा पुलिस थाना शम्भूगढ जिला भीलवाडा पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 144/22 में आरोपियों के विरूद्व ठोस कार्यवाही करने व प्रकरण संख्या 145/22 मे परिवादी के भतीजे भगवती लाल का नाम काटने व अन्य मुल्जिमो की संख्या कम करने की एवज में परिवादी से 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। परिवादी की शिकायत पर दिनांक 18.10.2022 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.10.2022 के दौरान आरोपी श्री उमराव अली, हैडकानि 1211, पुलिस थाना शम्भूगढ, जिला–भीलवाडा द्वारा 2,000 रूपये ग्रहण कर 9,000 रूपये की परिवादी से और मांग करना पाया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही का आयोजन भी किया गया परन्तु आरोपी को परिवादी पर शंका हो जाने के कारण आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध मे कोई वार्ता नही की। आरोपी श्री उमराव अली, हैडकानि 1211, पुलिस थाना शम्भूगढ, जिला–भीलवाडा द्वारा परिवादी श्री गोपाल लाल रेगर के भाई की पत्नी पप्पूडी द्वारा पुलिस थाना शम्भूगढ जिला भीलवाडा पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 144/22 में आरोपियों के विरूद्व ठोस कार्यवाही करने व प्रकरण संख्या 145/22 मे परिवादी के भतीजे भगवती लाल का नाम काटने व अन्य मुल्जिमो की संख्या कम करने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.10.2022 के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 2,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर 9,000 रूपये रिश्वत राशि की और मांग करना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री उमराव अली, हैडकानि 1211, पुलिस थाना शम्भूगढ, जिला–भीलवाडा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया पाया जाता हैं।

अतः आरोपी श्री उमराव अली पुत्र श्री दावल पिनारा उम्र–53 साल, निवासी विजयपुर, पुलिस थाना–बनेडा जिला–भीलवाडा हाल हैडकानि 1211, पुलिस थाना–शम्भूगढ, जिला–भीलवाडा के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिवप्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री उमराव अली, हाल हैड कानि0 1211, पुलिस थाना शम्भूगढ, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 503/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 4230-33 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर